प्रोबेशन में पूर्व पद का वेतन लेने पर भी प्रोबेशन बाद अनुसूची - V अनुसार प्रारम्भिक वेतन देय है

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 7(56)शिक्षा–2 / 2018 जयपुर, दिनांक : 15-10-18

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : "संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान, 2008" में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के विरूद्ध अनियमित वेतन स्थिरीकरण के प्रकरणों में हुए अधिक भुगतान की वसूली के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश/मार्ग–दर्शन प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक–शिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34851/2018 दिनांक 09.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा "संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान, 2008" में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा– निर्देशों के विरूद्ध अनियमित वेतन स्थिरीकरण के प्रकरणों में हुए अधिक भुगतान की वूसली के सम्बन्ध में आप द्वारा वांछित दिशा–निर्देश/मार्ग–दर्शन के क्रम में निवेदन है कि 'राजस्थान सेवा नियम, 1951' के नियम–24 के परन्तुक में राज्य कर्मचारी को प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में समय–समय पर नियत पारिश्रमिक प्राप्त करने तथा प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि पूर्ण होने पर 'राजस्थान सेवा नियम–26' के अन्तर्गत वेतन निर्धारण करने का प्रावधान है। अतः राजकीय सेवा में पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की यदि सीधी भर्ती से अन्य पद पर नियुक्ति होती है, तो ऐसे कर्मचारी को 'राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008' की अनुसूची–V में निर्धारित प्रारम्भिक वेतन देय है। यदि कर्मचारी पूर्व से ही उक्त प्रारम्भिक वेतन से अधिक रनिंग पे–बैण्ड प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे कर्मचारी को पूर्व पद के विद्यमान रनिंग पे–बैण्ड का वेतन देय है तथा उक्त रनिंग पे–बैण्ड वेतन के साथ नये पद के लिए निर्धारित ग्रेड–पे देय है।

उक्त मार्गदर्शन/राज्य वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या–101804323 दिनांक 08.10.2018 द्वारा प्राप्त कर प्रदान किया जा रहा है।

भवदीय,

15-10

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव–शिक्षा

मित्रों राज्य सेवा में रहते अन्य पद पर सीधी भर्ती से चयनित को प्रोबेशन में पुराने पद का वेतन लेने की छूट है। लेकिन प्रोबेशन पूर्ण होने पर इनका वेतन पुराने पद से निर्धारित किया जाता है। इससे इनका वेतन फ्रेश सीधी भर्ती वालों से कम हो गया है। वित्त विभाग की आई डी 101804323 दिनांक 08-10-18 की पालना में शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप -2 विभाग के प. 7 (56) शिक्षा -2/2018 जयपुर दिनांक 15-10-2018 द्वारा जारी इस आदेश से प्रोबेशन में पुराने पद का वेतन लेने पर भी प्रोबेशन राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 की अनुसूचि - V में निर्धारित प्रारम्भिक वेतन देय है। प्रभावित शिक्षकों का वेतन पुन: निर्धारण करवाने की पहल करें - महेन्द्र पाण्डे महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ